न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 2/2015 (उदयपुर आर्डर)

बाबूलाल (माता हीराबाई) पिता नारायण जी गाडरी, निवासी भीम का खेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. बाबरू पिता भीमा जी गाडरी, निवासी भीम का खेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान
काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)वल्लभनगर
दिनांक 28.01.2015 प्र0सं0 71/2013

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री ओ. एल. डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पी.एल. मारू/आशीष मारू अभि.रे.सं. 1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 17–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीम का खेड़ा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 के परिशिष्ट ''क'', ''ख'', ''ग'' व ''घ'' की आराजियात स्थित होकर पक्षकारान की सहखातेदारी में उक्त परिशिष्टों में दर्ज हिस्से अनुसार दर्ज हैं। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष भागचन्द जी की शादी सवा बाई से हुई तथा देउ बाई उनकी नातायत पत्नी है। सवा बाई की पुत्र हीरा बाई हुई, जिसका पुत्र प्रार्थी बाबूलाल है। भागचन्द की भूमि में प्रार्थी की माता का जन्म से अधिकार होकर उसका 1/2 हिस्सा है, किन्तु भागचन्द

जी भोले–भाले होने एवं अनपढ़ होने से प्रतिवादी संख्या 1 ने उनकी जमीन हड़पने की नियत से दिनांक 28–04–1978 को बक्षीसनामा अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया, जबकि मौके पर कब्जा सिपुर्द नहीं किया गया। ऐसे बक्षीसनामें के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। मौके पर कब्जा आज भी प्रार्थी का चला आ रहा है। अतः मूलवाद के निर्णय तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित भूमि किसी को हस्तान्तरित नहीं करें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करावें।

विपक्षी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि विपक्षी का रजिस्टर्ड बक्षीसनामे के आधार पर गत 32 वर्षो से आधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थी जब तक सक्षम सिविल न्यायालय ने रजिस्टर्ड बक्षीसनामे को शून्य घोषित नहीं करा लेते तब तक यह वाद लाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र मात्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 28–01–2015 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16–02–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू एवं आशीष मारू उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02–07–2019 को आदेश 41 नियम 27 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 24–11–2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उप तहसीलदार कानोड़ की रिपोर्ट दिनांक 02–11–2012 को तहसीलदार को भेजी गयी रिपोर्ट मय पर्चा मौका दिनांक 25–10–2012 प्रस्तुत की एवं उन्हें रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्वयं अपीलान्ट के कथनानुसार हस्तगत अपील के तथ्यों के समान तथ्यों वाली एक अन्य अपील माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित की जा चुकी है तो हस्तगत अपील इसी कानूनी बिन्दु पर खारिज योग्य है। अपीलान्ट द्वारा मात्र प्रकरण को लम्बा करने के उददेश्य से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किया जावे।

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24–12–2019 को आदेश 41 नियम 27 जाब्ता मियाद का एक आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–08–2002 की सच्ची प्रतिलिपि प्रस्तुत की एवं उसे रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा उक्त दोनों आवेदनों पर बहस सुनी जाकर उनके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदनों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की फोटो प्रतियों को रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता, किन्तु उसके साथ प्रस्तुत सच्ची प्रतियों को न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि मौका रिपोर्ट में कब्जा अपीलान्ट का बताया गया है तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलान्ट का कब्जा साबित है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट द्वारा धोखे से कराये गये बक्षीसनामे व उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट को सहखातेदार मानते हुए कथित निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि विवादित भूमियों के खातेदार भागचन्द द्वारा दिनांक 28–04–1978 को रजिस्टर्ड बक्षीसनामा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया

गया है, जिसके आधार पर वह वर्तमान में विवादित भूमियों का रेकार्डेड खातेदार है। भागचन्द द्वारा दिनांक 14–05–1979 को अपीलान्ट की माता हीरा बाई के पक्ष में भी बक्षीसनामा निष्पादित किया गया है, किन्तु अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित बक्षीसनामा पश्चातवर्ती होने से कानूनन उसका कोई महत्व नहीं है। अपीलान्ट/वादी जब तक रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित उक्त रजिस्टर्ड बक्षीसनामे को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते, तब तक उक्त बक्षीसनामें को राजस्व न्यायालय में चुनौती देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत विवेचन करते हुए रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति मानते हुए उसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा दिये जाने को उचित नहीं माना है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–01–2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:37:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: